न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/62

भागचन्द आत्मज नोसरचन्द जाति महाजन निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सीताराम आत्मज खाना जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. हजारी लाल आत्मज सीताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. पूरण मल उर्फ पूरण आत्मज सीताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. हरपाल आत्मज सीताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. अणदी लाल आत्मज सीताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी
6. जयमल आत्मज सीताराम जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रंगलाल आत्मज हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी
8. रमेश आत्मज हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. पन्नाराम आत्मज हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बू
   जरिये वली संरक्षक पिता हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैन
   जिला बून्दी ।
10. बाबूलाल आत्मज हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बू
    जरिये वली संरक्षक पिता हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नै
    जिला बून्दी ।
11. बिल्लू उर्फ बिल्या आत्मज हरपाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जि
    बून्दी ।
12. कमला बाई पत्नरी हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जि
    बून्दी ।
13. लीला बाई पत्नी पूरण मल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी
14. चरोजा बाई पत्नी हरपाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला
15. माया बाई पुत्री हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नै
    जरिये वली संरक्षक पिता हजारी लाल जाति बंजारा निवासी ग्राम गुरजनिया तहसील नै
    जिला बून्दी ।

----रेस्पो

उपस्थित :– 1. श्री दयाकृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नवेद केसर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 190 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि है । उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त करने तथा उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । उक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.01.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार एवं काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर केवल 15 बिस्वा पर ही कब्जा मानकर शेष भूमि पर कब्जा न होना मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने उक्त भूमि पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अनाधिकृत रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2013 के आधार पर अपीलान्ट का कब्जा न होना मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट न तो न्यायालय द्वारा मंगवाई गई है और न ही किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से बनायी गई इसलिए उक्त रिपोर्ट अनाधिकृत है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण का कोई स्वत्व एवं अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पातिर निर्णय दिनांक 21.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट के खाते की आराजी पर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । अनाधिकृत रूप से भू–अभिलेख निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का कब्जा नहीं मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है । न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट नहीं मंगवायी थी । इन अनाधिकृत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । दिनांक 17.05.2013 को मौके पर कोई फसल नहीं थी अपीलान्ट को मौके पर नहीं बुलाया गया, खसरा गिरदावरी में फसल अंकित है । पूरी आराजी पर फसल किया जाना अंकित है फिर भी भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर गलत रूप से 03 पर अपीलान्ट प्रार्थी का कब्जा नहीं माना है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया था जिसमें दावा दायरी के दिनांक को कब्जा होना आवश्यक होता है । अपीलान्ट का दावा दायरी के दिनांक को वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं था । भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है । रेस्पोडेन्ट ने सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र को निरस्त करने हेतु दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है जो जैरकार है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2013 की फोटो प्रति संलग्न है । इसके अलावा सिविल न्यायालय में पेश किये गये अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न है । नकल खसरा गिरदावरी सवंत् 2068–70 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा पर संवत् 2068 में खरीफ में उडद और रबी में सरसों, संवत् 2069 में भी उसी अनुसार खरीफ में उडद और रबी में सरसों और संवत् 2070 में खरीफ में सोया किया जाना अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 के अनुसार वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में दज है ।

10. इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक दर्ज हैं । रेस्पोडेन्ट का यह कथन है कि उनके द्वारा सिविल न्यायालय में एक दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादग्रस्त आराजी में से 03 बीघा पर उनका 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । पत्रावली पर संलग्न भू–अभिलेख की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया । यह रिपोर्ट तहसीलदार के आदेश की अनुपालना में दिनांक 17.05.2013 को बनाई गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का दिनरांक 15.07.2013 को पेश किया

गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह रिपोर्ट तलब नहीं की है । यह रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है ऐसा भी इस रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है और बिना किस दस्तावेजी साक्ष्य के पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को ऐसी रिपोर्ट तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है कि वादग्रस्त आराजी में से 03 बीघा आराजी पर विक्रेता एवं क्रेता का कब्जा नहीं रहा है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस रिपोर्ट को आधार मानकर जो प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है वह त्रुटिपूर्ण है । प्रार्थी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न खसरा गिरदावरी की नकल में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर फसल किया जाना अंकित है ।

11. इन तथ्यों के आधार पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही अपीलान्ट के पक्ष में तय पाये जाते हैं । खातेदार कृषक के साथ कब्जे की अवधारणा होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । जहॉ तक रेस्पोडेन्ट के द्वारा सिविल न्यायालय में पेश किये गये दावे एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रश्न है इसके आधार पर वो सिविल न्यायालय से सहायता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं । प्रार्थना पत्र लम्बित रहने के आधर पर अपीलान्ट को इससे मिलने वाली सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम गुरजनिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 190 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें और न ही उक्त भूमि पर प्रार्थी अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं रेस्पोडेन्टगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा